तारीख हुक्म	न्यायालय जिला कलक्टर नागौर नगर पालिका निगरानी संख्या– 37/2010(12/2007) सरकार बनाम मेहराम पुत्र जयराम जाट निवासी पुलिस लाईन नागौर वगैरह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
16.12.19	वकुलाय उपस्थित। स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर द्वारा पत्रांक–एफ–53(729)निग./डीएलबी/12/1418 दिनांक 7.11.19 से हस्तगत प्रकरण नगर पालिका निगरानी संख्या– 37/2010 (12/2007) सरकार बनाम मेहराम पुत्र जयराम जाट निवासी पुलिस लाईन नागौर वगैरह की मूल पत्रावली तथा आयुक्त नगर परिषद नागौर को उनकी मूल पत्रावली संख्या–39/2005–06 मेहराम पुत्र जयराम चौधरी LTS के पीछे ख0नं0 572 की मूल पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है। उक्त संबंध में आदेशिका नगर पालिका निगरानी की उक्त मूल पत्रावली में लिखी जा चुकी है। हस्तगत यादास्त पत्रावली मूल निगरानी पत्रावली के साथ नत्थी हो। उक्त पत्र दिनांक 09.10.2019 तथा हस्तगत प्रकरण के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2013 व 05.10.2017 हस्तगत प्रकरण की यादास्त पत्रावली में संलग्न है। हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26.09.2012 के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अप्रार्थी मेहराम पुत्र जयराम जाट द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राज0 जयपुर में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिस निगरानी संख्या–एफ–53(729)निग/डीएलबी/12.3.09 मेहराम बनाम नगर पालिका जरिये अधिशाषी अधिकारी वगैरह में आदेश दिनांक 21.06.2013 द्वारा प्रार्थी की उक्त निगरानी को खारिज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 21.06.2013 के विरूद्ध निगरानीकर्ता मेहराम पुत्र श्री जयराम जाति जाट द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर के यहां पुर्नरावलोकन याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पुर्नरावलोकन याचिका संख्या–एफ–53/(729/निग–पुर्नरावलोकरन/डीएलबी/12/नागौर में आदेश दिनांक–05.10.2017 से प्रकरण जिला कलक्टर के क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानकर जिला कलक्टर के समक्ष लम्बित कार्यवाही को समाप्त किया है एवं तहसीलदार को सक्षम न्यायालय में विधि सम्मत कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र रखा गया है। उक्त आदेश दिनांक 05.10.2017 की प्रति तहसीलदार नागौर को भी प्रेषित की गई है। अतः उपरोक्तानुसार आदेश दिनांक 05.10.2017 के अनुसार हस्तगत निगरानी प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। आयुक्त नगर परिषद नागौर को उनकी मूल पत्रावली संख्या–39/2005–06 मेहराम पुत्र जयराम चौधरी LTS के पीछे ख0नं0 572 की मूल पत्रावली लौटाई जावे एवं आदेश दिनांक 05.10.2017 की प्रति तहसीलदार नागौर को विधि सम्मत कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। हस्तगत प्रकरण से संबंधित यादास्त पत्रावली इस मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव), जिला कलक्टर नागौर	

A3/10

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 18:19:08 IST
Reason: SelfAttested